

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम जयपुर-302005)
टेलीफैक्स 0141-2222403, ईमेल- dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org

क्रमांक : F.59 DLB/STP/Empa.Consultant.(14)/15/1646

दिनांक : 15-05-2017

कार्यालय आदेश

नगरीय विभाग आवासन एवं स्वायत्त शासन, विभाग द्वारा राज्य सरकार के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 03.10.2013 द्वारा राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में नगरीय विकास से संबंधित परियोजनाएँ तैयार किये जाने हेतु कन्सलटेन्ट्स का एम्पेनलमेन्ट किया गया था। इसी आदेश में उक्त एम्पेनलड कन्सलटेन्ट में से ही डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट्स भी लगाये थे। उक्त आदेश दिनांक 03.10.2013 की अवधि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक TPR/E.O.R./2013/283-325 दिनांक 31.03.2018 तक बढ़ायी गई है।

राज्य सरकार द्वारा नगरीय निकायों से संबंधित आमजन के कार्यों के निस्तारण हेतु "मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना" के तहत दिनांक 10.05.2017 से "शहरी जन कल्याण शिविर" प्रारंभ किये गये हैं। इस योजना के तहत किये जाने वाले तकनीकी कार्यों हेतु नगरीय निकायों को तकनीकी कन्सलटेन्ट की आवश्यकताएँ, पूर्व में लगाएँ गये डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट्स में से राज्य के बाहर के व स्थानीय कन्सलटेन्ट्स में से अनेक कन्सलटेन्ट्स द्वारा कार्यों में रूचि नहीं दर्शाये जाने व नगरीय निकायों में डेडीकेटेड कन्सलटेन्ट्स की Monopoly को दृष्टिगत रखते हुए एवं पूर्व में एम्पेनलड नहीं हो पाये कन्सलटेन्ट के एम्पेनलमेन्ट हेतु प्राप्त आवेदनों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व आदेश दिनांक 03.10.2013 के तहत निम्न श्रेणी में सम्मिलित किये गये कन्सलटेन्ट्स को एवं शिविर संबंधी कार्यों में अनुभव रखने वाली अन्य कन्सलटेन्सी फर्मों को राज्य की समस्त नगरीय निकायों में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर "शहरी जन कल्याण शिविर" से संबंधित कार्य करवाये जाने हेतु अधिकृत किये जाने की स्वीकृती प्रदान की जाती है।

- Architectural Design Project /Landscape Project.
- Master Plans/Sector Plans/City Development Plans/Environment Plan of Areas/Towns/Villages
- Survey and land Acquisition through lands pooling for various project/roads/schemes.
- GIS Mapping and database.
- Preparation of DPR for housing, sewerage, rainage, waste water recycling & water supply ETC.

नगरीय निकाय पर उक्त सूची में से अथवा अन्य उपयुक्त कन्सलटेन्सी फर्म का अपने स्तर पर चयन कर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों पर कार्य करवाये जाने हेतु अपने स्तर पर कार्य आदेश जारी कर सकेंगे एवं कन्सलटेन्ट को भुगतान स्थानीय निकाय द्वारा अपने स्तर पर किया जावेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

क्रमांक : F.59 DLB/STP/Empa.Consultant.(14)/15/1647-55

दिनांक : 15-05-2017

प्रतिलिपि निम्नांकित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया प्राधिकरण/न्यासो हेतु भी समान आदेश जारी करने का श्रम करें।
5. मुख्य नगर, नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त, नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर।
7. क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर/बीकानेर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करें।
8. सिस्टम ऐनालिस्ट कम जोइन्ट डायरेक्टर, निदेशालय को प्रति प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. CMAR को प्रति प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

(Handwritten Signature)
(आर.के. विजयवर्गीय)
वरिष्ठ नगर नियोजक